

पत्रांक : 10 / व 1-38 / 2014(छाया) अंश.....374

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय विमुक्ति आदेश संख्या-369 दिनांक 24.02.2026 के साथ संलग्न जिलावार विवरणी के क्र0सं0 1 जिला-औरंगाबाद के लिए आवंटित राशि 2,30,00,000 /-के स्थान पर 2,05,00,000 /-रूपये पढ़ा जाय।

शेष यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञांपाक : 10 / व1-38 / 2014(छाया) अंश.....374

पटना, दिनांक.....06/03/2026

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञांपाक : 10 / व1-38 / 2014(छाया) अंश.....374

पटना, दिनांक 06/03/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं लेखा)/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी-10/बजट शाखा/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में) प्रशाखा पदाधिकारी-05/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/सभी संबंधितों/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।